

न्यायालय : आशीष प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

कमांक./३१६/२०२०

मंदसौर, दिनांक 27.06.2020

- :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह जुलाई 2020 ::-

माह जुलाई 2020 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में मंदसौर जिला एवं नारायणगढ़, सीतामऊ, गरौठ एवं भानपुरा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमांड ड्यूटी नियत की जाती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य की जावेगी।

- ::जिला मुख्यालय-मंदसौर ::-

क.	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम	माह जुलाई 2020
1	श्रीमती मंजू सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	26-07-2020
2	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	18-07-2020
3	श्री समीर कुमार मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	19-07-2020
4	श्री सुशील गेहलोत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	05-07-2020
5	श्रीमती निर्मला वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	12-07-2020

- ::तहसील मुख्यालय-नारायणगढ़ ::-

क.	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम	माह जुलाई 2020
1	श्री संतोष बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	05-07-2020
2	श्री साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	18-07-2020 19-07-2020
3	श्री ललित कुमार मईड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़	12-07-2020 26-07-2020

- ::तहसील मुख्यालय-सीतामऊ ::-

क.	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम	माह जुलाई 2020
1	श्री विरेंद्र जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामऊ	05-07-2020 12-07-2020 26-07-2020

2	दिलीप सिंह परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामऊ	18-07-2020 19-07-2020
---	---	--------------------------

- ::तहसील मुख्यालय-गरोट ::-

क.	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम	माह जुलाई 2020
1	श्री कमलेश भरकुंदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोट	05-07-2020 12-07-2020
2	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गरोट	18-07-2020 19-07-2020 26-07-2020

- ::तहसील मुख्यालय-भानपुरा ::-

क.	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम	माह जुलाई 2020
1	श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा	05-07-2020 12-07-2020 18-07-2020 19-07-2020 26-07-2020

उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त माह जुलाई-2020 में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है, तो मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोट/भानपुरा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन कमशः श्रीमती निर्मला वास्कले/श्री दिलीप सिंह परमार/श्री साजिद मोहम्मद/श्री मेहताब सिंह बघेल/श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा किया जावेगा।

उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन सहित आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने पर उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

माह जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश दिनांक को मंदसौर/नारायणगढ़/सीतामऊ/गरोट/भानपुरा न्यायिक स्थापनाओं पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने/अनुपस्थित रहने की स्थिति में रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन उक्त पदस्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किया जावेगा। न्यायिक स्थापना भानपुरा पर एकमात्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री लक्ष्मण डोडवे होने से उनके अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में रिमांड ड्यूटी का निष्पादन रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान न्यायालय गरोट में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा संपादित किया जावेगा।

प्रकरणों की सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जावे। रिमांड ड्यूटी के दौरान न्यायालय में जिन पक्षकार/अभिभाषक को सुने जाने की आवश्यकता हो, उन्हें उनके मोबाईल पर लिंक प्रेषित कर Vidyo mobile app के माध्यम से

सुनिश्चित किया जावे। अपवादिक परिस्थिति में ही संबंधित पक्षकार/अभिभाषक को न्यायालय में सुना जावें।

उक्त रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादन हेतु न्यायिक अधिकारी अपने न्यायालय में नियुक्त कर्मचारियों में से न्यूनतम कर्मचारियों (अधिकतम 02) के माध्यम से निष्पादित करावें। समस्त न्यायालयीन कर्मचारी कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ न्यायालयों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए, समस्त प्रकार के संसाधन जैसे सेनेटाईजर, मास्क आदि के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

रिमांड ड्यूटी कक्ष को भी सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित किया जावे तत्संबंध में रिमांड ड्यूटी आदेश की एक प्रति नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग को प्रेषित की जावे।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

896 or 897
पृ.क.:- /2020
प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

(आशीष प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)
मंदसौर, दिनांक 27.06.2020

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मन्दसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 6- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेजे के माध्यम से संबंधित को प्रेषित किये जाने हेतु।

(आशीष प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)